



राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक:- प.17(08)परि/2020

जयपुर, दिनांक:-

आदेश

लेखाशीर्ष 3055-00-190-(12)-[01]-12 सहायतार्थ अनुदान (राज्य निधि) में प्रावधित राशि में से माह अक्टूबर से नवम्बर, 2020 के निःशुल्क/रियायती यात्रा के दावे की पुनर्भरण योग्य राशि रु. 1785.11 लाख में से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा माह जुलाई से दिसम्बर 2020 तय देय मोटर वाहन कर की कम जमा कराई गई राशि रु 1190.77 लाख को रोकते हुए शेष राशि रु 594.34 लाख (अक्षरे पॉच करोड़, चौरानवे लाख, चौतीस हजार रूपये मात्र) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के निजी निक्षेप खाते में अन्तरित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी.संख्या 102100621 दिनांक 19.02.2021 में प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह/

(पी0डी0 पारीक)

उप शासन सचिव, परिवहन

जयपुर, दिनांक:- 23/2/2021

क्रमांक:- प.17(08)परि/2020

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री/राज्य मंत्री परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, परिवहन विभाग, जयपुर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग मुख्यालय।
8. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि भुगतान करने से पूर्व पुनर्भरण क्लेम के दावे की राशि की जांच अपने स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करावें।
9. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार राशि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर के पी.डी. खाते में हस्तान्तरित कराने का श्रम कराएं।
10. सहायक निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. केषाधिकारी, सचिवालय कोष, जयपुर।
12. सिस्टम एनालिस्ट, परिवहन विभाग जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव, परिवहन